27.08.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण सं. 20/2014 प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे खारिज किया गया है। प्रार्थी मजदूरी करने हेतु बाहर गया हुआ था तथा अधिवक्ता प्रार्थी अन्य कार्यों मे व्यस्त होने के कारण उपस्थित नही हो सकें; प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय मे अनुपस्थित नहीं रहा है तथा प्रार्थी के इस प्रकरण मे सीधे तौर से हित प्रभावित हो रहें हैं, ऐसे मे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण पुनः बरामद किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब मे प्रकट केया कि प्रार्थी व उनके अधिवक्ता जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्हे पता था कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया हैं जो खारिज योग्य हैं।

हमने दोनो पक्षों की बहस अभिकथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जानकारी होने से सम्यक तत्परता से प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा सुनवाई तिथी को उपस्थित होकर पैरवी नहीं करने के कारण प्रकरण आदम पैरवी मे खारिज हुआ है जिसका खामियाजा प्रार्थी को नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट कथनों पर प्रकरण मे मेरीट पर अंतिम विनिश्चय द्वारा निस्तारण किया जा सकेगा। लिहाजा न्यायहित मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र स 20/2014 मे पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 को रिव्यु किया जाकर प्रकरण पुनः बरामद किया जाता हैं। मूल पत्रावली नम्बर पर कायम होकर दिनांक 01.10.2019 को पेश हों।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner